भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4065

(दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए)

प्रसारण सामग्री से जुड़ी शिकायतें प्राप्त होना

4065. श्री मोहिब्बुल्लाहः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पाँच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं के बजट आवंटन, वास्तविक व्यय और राजस्व सृजन का ब्यौरा क्या है और प्रत्यक्ष सरकारी अनुदानों से वित्तपोषण का अनुपात क्या है;

(ख) पूर्वाग्रह, पारदर्शिता की कमी या स्वतंत्रता से समझौता किए जाने के आरोपों से संबंधित संपादकीय या सामग्री-संबंधी प्राप्त शिकायतों की संख्या और आंतरिक समीक्षाओं या निगरानी तंत्रों में दर्ज निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) स्वायत्तता, नियुक्तियों या सार्वजनिक प्रसारकों के संपादकीय कामकाज के संबंध में पत्रकारों, कर्मचारियों या मीडिया संगठनों से प्राप्त शिकायतों या औपचारिक ज्ञापनों की संख्या कितनी है;

(घ) दर्शकों/श्रोताओं की हिस्सेदारी, विश्वसनीयता की धारणा और जन-विश्वास के स्तर के संबंध में निष्पादन संपरीक्षा, पहुँच सर्वेक्षणों या मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं की संपादकीय स्वतंत्रता, वित्तीय पारदर्शिता और संस्थागत स्वायत्तता को सुदृढ़ करने के लिए शुरू किए गए संरचनात्मक, कानूनी या प्रशासनिक सुधार क्या हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): सरकार ने देश में प्रसार भारती की प्रसारण अवसंरचना के विकास, आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए वर्ष 2021-26 हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम नामतः प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) स्कीम को अनुमोदित किया है। इस स्कीम को दिनांक 31.3.2027 तक बढ़ा दिया गया है। बजट में आवंटित निधि, वास्तविक व्यय और राजस्व सृजन का विवरण प्रसार भारती की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संपादकीय मामलों की नियमित रूप से प्रधान संपादक और वरिष्ठ संपादकीय टीमों द्वारा समीक्षा की जाती है। आवश्यकता होने पर, प्रसार भारती की संपादकीय नीतियों और कार्यक्रम संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समाचारों की गुणवत्ता, सटीकता, संतुलन और प्रस्तुतीकरण में सुधार के लिए मार्गदर्शन और सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। संपादकीय सामग्री से संबंधित शिकायतों सहित दर्शकों की शिकायतों या फीडबैक को स्थापित नीति के अनुसार उचित कार्रवाई के लिए संबंधित संपादकीय टीम को भेजा जाता हैं।

पिछले एक वर्ष में, लोक प्रसारकों की स्वायत्तता, नियुक्तियों या संपादकीय कार्यप्रणाली के संबंध में पत्रकारों, कर्मचारियों या मीडिया निकायों से कोई शिकायत या औपचारिक अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, नियुक्ति के संबंध में आवेदकों से 07 शिकायतें प्राप्त हुईं।

आकाशवाणी देश की लगभग 98% आबादी और लगभग 90% क्षेत्र को कवर करता है। “डीडी फ्री डिश” देश में कहीं भी बिना किसी सदस्यता शुल्क के रिसीव की जा सकती है। प्रसार भारती दर्शक संख्या के आंकड़ों, दर्शकों के फीडबैक और सोशल मीडिया एनालिटिक्स की समीक्षा करता है तथा अपनी नियमित संपादकीय प्रक्रिया के भाग के रूप में समाचारों की गुणवत्ता, सामग्री और प्रस्तुतीकरण में लगातार सुधार करने के लिए इन जानकारियों का उपयोग करता है।
